1997-98, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Reviewby government on the working of the above council.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

III.(a) Annual Report and Accounts of the Central council for Research in Homoeopathy, new Delhi, for the year 1997-98, together with the Auditor's Report on the Accounts.[Placed in Library. *See* No. LT - 474/99]

(b) Review by Government on the working of the above council.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above [Placed in Library. *See* No. LT - 758/99]

*** Report and Accounts (1998-99) of the Fertilizers Corporation of India Ltd. New Delhi and Hindustan Fertilizers Corporation Ltd., New Delhi and related papers**

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री रमेश बैंस**) : महोदय, मैं कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 की उपधार (1) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) सभापटल पर रखता हूं:

(I).(क)1998-99 के वर्ष के लिए फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का तैंतालीसवां वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन और उस पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(ख)उपर्युक्त कारपोरेशन के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल.टी.767/99)

II.(क)1998-99 के वर्ष के लिए हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली कमा इक्कीसवां वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन और उस पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(ख)उपर्युक्त कारपोरेशन के कार्यकारण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(पुस्मकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल.टी. 768/99)

1. Report and Accounts (1997-98) of All India Council for Technical Education, New Delhi and related papers.

II. Report and Accounts (1997-98) of the Board of Practical Training, Calcutta and related papers.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री जयसिंहराव गायकवाड़ पाटिल**) : महोदय,मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

I.(1) आल इंडिया काउन्सिल फार टेक्निकल एजुकेशन अधिनियम 1987 की धारा 18 और धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखेंगे:-

(क)1997-98 के वर्ष के लिए आल इंडिया काउन्सिल फार टेक्निकल एजुकेशन, नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे,लेखाओं पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन सहित।

(ख)उपर्युक्त काउन्सिल पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) (पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल.टी. 494/99)

II. निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) :-

(i)(क)1997-98 के वर्ष के लिए बोर्ड ऑफ प्रैक्टीकल ट्रेनिंग , कलकत्ता का वार्षिक प्रतिवेदन और लेख, लेखाओं पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन सहित।

(ख)उपर्युक्त बोर्ड के कार्यक्रण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ग)ऊपर (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल.टी. 495/99)

(ii((क)1997-98 के वर्ष के लिए नेशनल काउन्सिल फार प्रमोशन ऑफ